

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 28/2019 अंतर्गत धारा 90-ए(9) एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2019/00182)

अनवान:

1. श्रीमती जसोदा देवी पत्नी श्री खीयाराम नाई निवासी रिद्धिसिद्धि नगर, ग्राम किशमीदेसर, गंगाशहर, नोखा रोड़ बस स्टेण्ड के पीछे, तहसील व जिला बीकानेर।

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी एवं संचिव नगर विकास न्यास बीकानेर।



21.08.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 21.08.2024 को सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर